

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

आदेश

सं0सं0-12/स्था0-01-42/2025

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज के पत्रांक-2632 दिनांक 18.07.2025 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं विभागीय पत्रांक-बाढ़ (मो0) सिं0-54/2025-2694 दिनांक 22.05.2025 के आलोक में श्री जैद आलम, (समेकित क्रमांक-2472), कनीय अभियंता (असैनिक), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-02, पडरौना को बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत विज्ञापन सं0-29/2025 के तहत सहायक अभियंता (असैनिक) की परीक्षा में शामिल होने के निमित्त दिनांक 17.07.2025 से 19.07.2025 तक कुल-03 दिनों का आकस्मिक अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति सशर्त प्रदान की जाती है।

2. अवकाश स्वीकृति का लाभ प्रदान करने के पूर्व नियंत्री पदाधिकारी द्वारा सुसंगत वर्ष में देय आकस्मिक अवकाश के अदेयता की सम्यक जाँच कर लेंगे। अदेयता शेष रहने पर ही उक्त आदेश लागू होगा। यह नियंत्री पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

3. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(मनीष आनंद)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, गोपालगंज को उनके पत्रांक-2632 दिनांक 18.07.2025 के प्रसंग में/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, पडरौना/ कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-02, पडरौना /श्री जैद आलम, कनीय अभियंता (असैनिक), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-02, पडरौना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 614 पटना, दिनांक- 21/7/26

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव (प्रबंधन)।